

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100544

दिनांक: 18/03/2026

लोक सूचना

श्रीमति NANA DEVI पत्नी श्री HARINARYAN जाति SHARMA निवासी RAMPURA URF KANWARPURA BADI KA BAS BEELWA KALAN JAIPUR

श्री PRABHU NARAYAN SHARM पुत्र श्री GYARSI LAL SHARMA जाति SHARMA निवासी 14 RAMPURA BEELWA KALAN JAIPUR

श्री GOURI SHANKAR SHARMA पुत्र श्री GYARSI LAL SHARMA जाति SHARMA निवासी RAMPURA URF KANWARPURA SANGANER BEELWA KALAN JAIPUR

श्री RAMU पुत्र श्री GOVIND जाति SHARMA निवासी 16 MUKHYA ABADI RAMPURA BEELWA KALAN JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, साँगानेर (जयपुर)	2.) नाना पत्नी हरिनारायण हिस्सा 1 / 4 जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार 4.) रामू पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1 / 4 जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार 1.) गौरीशंकर पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1 / 4 जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार 3.) प्रभुनारायण पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1 / 4 जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार	651	0.41	0.41
कुल					0.41

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "विज्ञप्ति के विरुद्ध

अपनी आपत्ति दर्ज करें।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **18-03-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & MAHANAGAR TIMES

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

